

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी संबंधित सिविल सर्जन
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

पटना, दिनांक 13-02-, 2018

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-101-स्वास्थ्य उपकेन्द्र-0003-स्वास्थ्य उपकेन्द्र विपत्र कोड- 20-2210031010003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्ते मद एवं अन्य मदों में कुल ₹1,28,66,278/- (एक करोड़ अट्ठाईस लाख छियासठ हजार दो सौ अठहत्तर) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-19(7)ब दिनांक-15.05.17, 50(7)ब दिनांक-24.08.17, 79(7)ब दिनांक-25.09.17 एवं 115(7) ब दिनांक-18.12.17 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्ते मद एवं अन्य मदों में कुल ₹1,28,66,278/- (एक करोड़ अट्ठाईस लाख छियासठ हजार दो सौ अठहत्तर) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है। (विवरणी संलग्न)

- सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।
- आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-101-स्वास्थ्य उपकेन्द्र-0003-स्वास्थ्य उपकेन्द्र विपत्र कोड- 20-2210031010003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
- सिविल सर्जन अपने स्तर से अधीनस्थ संबंधित स्वास्थ्य उपकेन्द्र में कार्यरत बल के आधार पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को नियमित व्यय हेतु उप आवंटन एक मुश्त में करेंगे। उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।
- सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबाबदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी।
- यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।
- स्थायी पद के विरुद्ध नियुक्त कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाय।
- कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

11. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।
12. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,
सचिव
13/2/18
(सचिवदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव
रजि

ज्ञापांक : 140 (7) 9

पटना, दिनांक : 13-02-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी-7 एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

सचिव
13/2/18
सरकार के विशेष सचिव
रजि

विवरणी-1

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में बिहार स्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्र उपशीर्ष विपत्र कोड सं0-2210031010003 का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों में अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06-01)	यात्रा भत्ता (11-01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	पटना	1400000	358400	376800	277680	2412880	0	30000	2442880	188/9.1.18
2	गोपालगंज	1000000	230000	240000	170000	1640000	0	0	1640000	2719/12.12.17
3	समस्तीपुर	1000000	220000	240000	170000	1630000	0	0	1630000	2678/21.12.17
4	सीतामढ़ी	1400000	308000	336000	224000	2268000	0	25000	2293000	3063/14.12.17
5	पश्चिमी चम्पारण	1400000	308000	336000	224000	2268000	0	0	2268000	2383/11.12.17
6	पूर्वी चम्पारण	370000	46920	49840	33240	500000	0	0	500000	3219/27.12.17
7	अररिया	600000	132000	144000	102000	978000	0	5000	983000	1765/12.12.17
8	कटिहार	504000	110880	120960	85680	821520	0	20000	841520	2066/14.12.17
9	गया	0	0	0	0	0	248810	0	248810	16/2.1.18
10	जहानाबाद	0	0	0	0	0	19068	0	19068	2747/29.12.17
	कुल	7674000	1714200	1843600	1286600	12518400	267878	80000	12866278	

(एक करोड़ अट्ठाईस लाख छियासठ हजार दो सौ अठहत्तर) रु0 मात्र

140(3) 0

13-02-18

सरकार के विशेष सचिव

रही

13/2/18

उपबंध की स्थिति विपत्र कोड सं0-2210031010003

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0003-01-01)	163654000	155980000	7674000	163654000	0
2	जीवन यापन भत्ता (0003-01-03)	202630000	200915800	1714200	202630000	0
3	मकान किराया भत्ता (0003-01-04)	27956000	26112400	1843600	27956000	0
4	चिकित्सा भत्ता (0003-01-06)	5760000	4473400	1286600	5760000	0
	योग 20-2210.03.101.0003.01 वेतन	400000000	387481600	12518400	400000000	0
5	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0003-06-01)	1900000	318916	267878	586794	1313206
6	यात्रा व्यय (0003-11-01)	600000	390000	80000	470000	130000
7	विधि प्रभार (0003-13-05)	1000	0	0	0	1000
8	किराया महसूल एवं कर (0003-14-01)	2500000	300000	0	300000	2200000
9	प्रशिक्षण व्यय (0003-20-03)	0	0	0	0	0
10	अनुरक्षण एवं मरम्मत(0003-27-02)	1000	0	0	0	1000
	कुल योग:-	405002000	388490516	12866278	401356794	3645206

140(F)A
13-02-18

सरकार के विशेष सचिव
स्वीड

13/2/18